न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई
जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–01 / 2015

Sl Nodate of order of proceeding	Order with Signature of the Court	Office Action taken with date

बालेश्वर यादव, पे0–चुरो यादव–आवेदक प्रथम
जालेश्वर, पे0–चुरो यादव–आवेदक द्वितीय
रामेश्वर, पे0–स्व0 दयाल यादव–आवेदक तृतीय
विशेश्वर यादव, पे0–स्व0 दयाल यादव, आवेदक चतुर्थ
सा0–गौरीडीह,पो0–चन्द्रमंडीह, अंचल–चकाई, जिला–जमुई–

बनाम

सत्यनारायण राय, पे0–पारो राय– विपक्षी प्रथम
बालभन्द्र राय, पे0–गुड्डी राय– विपक्षी द्वितीय
लक्ष्मी राय, पे0–चुरामन राय– विपक्षी तृतीय
कैलाशपति राय, पे0–चुरामन राय– विपक्षी चतुर्थ
केदार राय, पे0–चुरमन राय– विपक्षी पंचम
शम्भु राय, पे0–चुरामन राय– विपक्षी षष्टम
गौरी शंकर मधुप, पे0–सुरेश्वरी सिंह– विपक्षी सप्तम
रामेश्वर रा, पे0–बन्शी राय– विपक्षी अष्टम
अनिल कुमार, पे0–अर्जून सिंह– विपक्षी नवम
शिवराम, पे0–अर्जून सिंह– विपक्षी दशम
सानो महतो, पे0–गणपति महतो– विपक्षी ग्यारह
नुनेश्वर महतो, पे0–रोहन महतो– विपक्षी बारहवीं
पावर्ती देवी जौ0–रूपन महतो– विपक्षी तेरहवीं
अविनाश दुवे, पे0–भुनेश्वर दूवे– विपक्षी चौदहवीं
कुन्दन सिंह, पे0–प्रभा सिंह– विपक्षी पन्द्रहवीं
मालु यादव, पे0–धोकल महतो– विपक्षी सोलहवी
वैजनाथ यादव, पे0–पुकारी यादव– विपक्षी सतरहवीं
तालो यादव, पे0–भीमलाल यादव– विपक्षी अठारहवी
विजय यादव, पे0–बेचु महतो– विपक्षी उन्नीसवीं
उदो महतो, पे0–काली महतो– विपक्षी बीसवीं
बेचु महतो, पे0–रोहन महतो– विपक्षी इक्कीसवीं
सभी सा0–माधोपुर, पो0–चन्द्रमंडीह, अंचल–चकाई, जिला–जमुई।

अभिलेख उपस्थापित। विचाराधीन जमाबंदी रद्दीकरण वाद बालेश्वर यादव, पे0–चुरो यादव एवं अन्य, सा0–गौरीडीह, पो0–चन्द्रमंडीह, अंचल–चकाई जिला–जमुई के आवेदन दिनांक–18.11.2014 के आलोक में कार्यवाही प्रारंभ की गई। उक्त वाद में उभयपक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए सुनवाई की गई तथा उभयपक्षों द्वारा अपने–अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए बहस की गई तथा अपना लिखित बहस पेश की गई।

वादी (प्रथम पक्ष) का कथन :–

(1)मौजा–सिलफरी टोला गौरीडीह, थाना–चन्द्रमंडीह, अंचल–चकाई, खाता सं0–69, रकवा–77.12 एकड़ जमीन खतियानी रैयत जगु महतो वो सेवा महतो के नाम से दर्ज है।

(2) जगु महतो नावल्द मर गये, जिससे उनकी सारी जमीन सेवा महतो के दखल–कब्जा में रहा।

(3)सेवा महतो अपने पीछे एक मात्र पुत्र पोखन महतो को मर गये।

(4) पोखन महतो अपने पिता के छोड़ी गई जायदाद पर दखल–कब्जा में आये और पोखन महतो भी अपने पीछे दो पुत्र दयाल महतो एवं चुरो महतो को छोड़कर मर गये।

(5) दयाल महतो एवं चुरो महतो के वंशज है, जो अभी भी विवादित जमीन के दखल–कब्जा एवं घर बनाकर खाता सं0–69 पर सपरिवार रह रहे है।

(6)आवेदक के वंशज ने कभी भी खाता सं0–69की जमीन बेचा और न ही कभी नीलाम ही हुआ। खाता सं0–69 की जमीन को नीलाम करने हेतु जमींदार श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह ने एक दीवानी वाद सं0–507/13 आवेदक के पूर्वज के विरूद्ध लाया था, जो दिनांक 30.03.1994 को खारिज हो गया तब से आज तक कोई भी अपील जमींदार द्वारा नहीं किया गया और न तो जमीन आवेदक का नीलाम हुआ।

(7) आवेदकगण का यह भी कहना है कि विपक्षीगण द्वारा अंचल अमलाओं को मिलाकर अवैधानिक रूप से अपने नाम से जमाबंदी सं0–40, 66, 81, 82, 83, 132, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 196, 197, 198, 199, 200, 213, 214, 231, 232, 242, 244, 245, 248, 24 250, 253 एवं 255 कायम करा लिया है, जो अवैध वो वेबुनियाद है।

(8) खाता सं0–69 में विपक्षीगण का कोई सरोकार नहीं है और न ही उनका कोई दखल–कब्जा है।

(9) आवेदकगण का यह भी कहना है कि विपक्षीगण द्वारा आवेदक की जमीन नीलाम हो गया वो गलत है और नीलामी के बाद जमींदार ने बंदोवस्त कर दिया।

(10) आवेदकगण द्वारा एक जमाबंदी सुधार वाद सं0–49/14 उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के यहाँ दाखिल किया, जिसमें विद्वान उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई ने अपने आदेश में पुरानी जमाबंदी को रद्द करने से इनकार कर दिया जिस कारणवश यह वाद श्रीमान के न्यायालय में दायर किया गया।

(11) आवेदकगण का यह भी कहना है कि विपक्षी के पक्ष में उपरोक्त कायम जमाबंदी गलत है।

अन्त में आवेदकगण द्वारा विपक्षीगण के नाम से कायम जमाबंदी सं0–40, 66, 81, 82, 83, 132, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 196, 197, 198, 199, 213, 124, 231, 232, 242, 244, 245 एवं 253 को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

<u>प्रतिवादी (द्वितीय पक्ष) का कथन :–</u>

(1) वादीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध लाया गया जमाबंदी रद्दीकारण अधिनियम के अनुसार चलाने योग्य नहीं है।

(2) वादीगण द्वारा लाया गया यह वाद भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम 9 की आहर्त्तायें पूरी नहीं करता है।

(3) प्रश्नगत जमाबंदी कई दशक पूर्व से उनके पूर्वजों के नाम कायम होकर चली आ रही है तथा वादीगण द्वारा बिना किसी आधार के गलत आरोप लगाया गया है।

(4) वादीगण के द्वारा केवल यह कहा जा रहा कि वे दर्ज रैयत के कानूनी उत्तराधिकार है, परन्तु उनके द्वारा कोई इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(5) इस मामले में सही तथ्य है कि विवादित भूमि जिसका खाता सं0–69 है एवं अन्य कई खेसरा गिद्धौर वार्ड स्टेट के द्वारा 2 हुकुमनामा के द्वारा वर्ष 1948 में बंदोवस्त किये गये थे, जिसमें एक में बंटी राय, चुरामन राय एवं भुवनेश्वर सिंह के नाम पर 72.12 एकड़ जमीन तथा दूसरा सुरेन्द्र सिंह के नाम पर 3.27 एकड़ बंदोवस्त किये गये। इस प्रकार कुल 75.39 एकड़ जमीन के दखल में बंदोवस्तधारी आ गये।

(6) खतियान के अनुसार खाता सं0–69, जिसमें कई खेसरा है, में 77.12 एकड़ जमींदार के वकास्त भूमि के रूप में दर्ज है। उक्त 77.12 एकड़ भूमि में से 75.39 एकड़ भूमि पर जमाबंदी रैयत का पूर्ण अधिकार एवं स्वत्व था तथा उनके बाद उनके कानूनी वारिसान (विपक्षीगण) सम्पूर्ण अधिकार एवं स्वत्व के तहत भूमि पर खेती–बाड़ी करते आ रहे है तथा इस पर वादगण का कोई संबंध नहीं है। अवशेष 1.44 एकड़ अभी भी राज्य सरकार के पास है। विपक्षीगण के पूर्वज भूतपूर्व जमींदार को लगान देते आ रहे है तथा उनके पास जमींदारी लगान रसीद है तथा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भूतपूर्व जमींदार द्वारा उनलोगों के नाम पर रिटर्न दाखिल किया गया, जिसके आधार पर सरकार के पंजी–2 में उनके नाम पर दाखिल–खारिज हुआ। विपक्षीगण प्रश्नगत भूमि का लगान सरकार को देते आ रहे ळे एवं पूर्वजों के समय से ही शांतिपूर्ण रूप से खेती–बाड़ी कर रहे है।

(7) जमाबंदी रैयत के कानूनी वारिसान द्वारा निबंधित केवाला के माध्यम से कुछ जमीन की बिक्री भी की गई है तथा क्रेता उसके शांतिपूर्ण दखल में चले आ रहे है। उनकी जमाबंदी भी चल रही है एवं उनके द्वारा लगान भी दिया जा रहा है।

(8) वादीगण विवादी व्यक्ति है तथा विपक्षीगण की जमीन अवैध तरीका से हड़पना चाहते है। वादीगण द्वारा सर्वप्रथम दाखिल--खारिज वाद सं0–20/2011–12 के माध्यम से अंचल अधिकारी, चकाई के समक्ष इन्ही तथ्यों के आधार पर जमाबंदी सृजित कर उनके नाम पर लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया था। अंचल अधिकारी, चकाई द्वारा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में पाया गया कि मौजा–गौरीडीह, थाना नं0–39, तौजी नं0–326, खाता सं0–69 की भूमि की जमाबंदी सं0–40 वंशी राय के नाम पर, 66--सुरेश सिंह के नाम पर, 81–सत्यनारायण राय के नाम पर,82–बलभ्रद राय के नाम पर, 83–रामेश्वर राय के नाम पर, 132–मसो0 सुन्दरी के नाम पर, 146–अर्जून सिंह के नाम पर, 148–परमानन्द सिंह के नाम पर, 149–लक्ष्मी राय के नाम पर, 150–कैलाशपति राय के नाम पर, 151–केदार राय के नाम पर, 152–शम्भु राय के नाम पर, 196–गौरी शंकर मधु के नाम पर, 197–रामाशंकर सिंह के नाम पर, 198–अनिल कुमार के नाम पर, 199–शिवराम सिंह के नाम पर, 200–हैजदारी महतो के नाम पर, 242–मसो0 पावर्ती देवी के नाम पर, 244–बहादूर राय के नाम पर, 245–नुनेश्वर राय के नाम पर, 248–मसो0 पावर्ती देवी के नाम पर, 249–अविनाश दूबे के नाम पर, 250--विनय यादव के नाम पर, 253–उद्धीन महतो के नाम पर एवं 255–बेच्चु महतो के नाम पर चल रही है। यह भी पाया गया कि वादीगण का भूमि पर कोई दखल नहीं है और न ही भूमि का कोई अनुसूची ही दिया गया। अंचल अधिकारी ने अपने आदेश में प्रश्नगत भूमि को विपक्षीगण के कथन के आधार पर महाराजा गिद्धौर के वकास्त भूमि बताया गया था तथा खतियान में सेवा

महतो एवं जगु महतो लगान दाता के रूप में दर्ज किया गया था लेकिन लगान नहीं दिये जाने के कारण उक्त भूमि की नीलामी होने के कारण गिद्धौर वार्ड स्टेट के अधीन आ गया, जिनके द्वारा विपक्षीगण के पूर्वजों को हुकुमनामा के माध्यम से बंदोवस्त कर दिया गया। सभी साक्ष्यों को विचार करते हुए अंचल अधिकारी द्वारा पाया गया कि विपक्षीगण उक्त भूमि के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में आ गये है एवं उनलोगों के द्वारा पेड़ तथा मकान भी बनाया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा यह भी कहा गया है कि वादीगण केवल दो वर्ष पूर्व जब खतियान निकाले तो उन्हे ज्ञात हुआ कि भूमि उनकी है। अंचल अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि वादीगण का प्रश्नगत भूमि पर कोई दखल नहीं है। तथा विपक्षीगण का भूमि पर दखल है तथा वादीगण की जमाबंदी सृजन से इनकार करते हुए भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत निपटारा हेतु उप समाहर्त्ता भूमि सुधार के पास भेज दिया गया।

(9) वादीगण द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के समक्ष भूमि विवाद वाद सं0–48/2015 दायर किया गया था, जिसे उप समाहर्त्ता भूमि सुधार द्वारा दिनांक–16.10.2014 को यह अंकित करते हुए मामला अपने क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

(10) उक्त तथ्य एवं परिस्थिति से स्पष्ट है कि विपक्षीगण की जमाबंदी बहुत पूर्व से चली आ रही है, जिसकी सम्पुष्टि सरकार के संबंधित प्राधिकार के द्वारा भी की गई है।

(11) बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम की धारा 9 के तहत जमाबंदी रद्दीकरण के लिए 2 शर्ते है 1.जमाबंदी का सृजन के समय लागू किसी कानून के उल्लंघन में किया गया है या इस संबंध में किसी कार्यपालक निदेश के विरूद्ध किया गया है।

(12) वादीगण उक्त दोनो शर्त्तो को सिद्ध नहीं कर पा रहे है। विपक्षीगण की जमाबंदी गिद्धौर वार्ड स्टेट के द्वारा निर्गत हुकुमनामा के आधार पर की गई है तथा अंचल अधिकारी, चकाई द्वारा इसमें कोई अनियमितता नहीं की गई है। इस प्रकार विपक्षीगण का दाखिल–खारिज किसी कानून या सरकार का परिपत्र के उल्लंघन में नहीं किया गया है इसलिए अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में विपक्षीगण की चल रही जमाबंदी को रद्द करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। हुकुमनामा की वैद्यता केवल सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा की जा सकती है। यह एक स्थापित कानून है कि लंबे समय से चली आ रही जमाबंदी एक संक्षिप्त कार्यवाही के तहत किसी राजस्व अधिकारी के द्वारा रद्द नहीं की जा सकती है।

(13) उक्त से स्पष्ट है कि विपक्षीगण का प्रश्नगत भूमि पर पूर्ण अधिकार एवं स्वत्व है तथा वे पूर्वज के समय से ही सरकार को लगान देते आ रहे है इसलिए बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम के तहत प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी खारिज नहीं की जा सकती है।

<u>विचारणीय बिन्दु</u> :–उभयपक्षों की सुनवाई से निम्नांकित विचारणीय बिन्दु उभरकर सामने आते है :–

(1) क्या खतियान में दर्ज बकास्त मालगुजारी खाते की जमीन, जो आवेदकगण के पूर्वजों के नाम से बकब्जे के रूप में दर्ज है, पर बहुत पूर्व से चल रही कई व्यक्तियों के नाम से चल रही जमाबंदियों को केवल खतियान के इन्द्राज के आधार पर रद्द किया जाना विधिसम्मत होगा, वह भी तब जबकि खतियान के बकब्जेदारों का वर्त्तमान में दखल–कब्जा नहीं

है एवं जमींदारी उन्मूलन के 6 (छः) दशको से अधिक समय हो जाने के बावजूद जमाबंदी कायम नहीं होने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं दिया गया हो।

(2) प्रश्नगत भूमि के कई भू–खण्डों का क्रय–विक्रय होने के बावजूद खतियानी बकब्जेदार के वंशजों द्वारा सक्षम न्यायालय में बिक्री दस्तावेजों को निरस्त करने संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के आलोक में क्या उक्त क्रय–विक्रय के आधार पर कायम जमाबंदियों को रद्द किया जाना विधिसम्मत होगा जबकि खतियानी बकब्जेदार के वंशजों द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत भूमि पर दखल भी प्राप्त नहीं किया गया हो।

निष्कर्ष :–उभयपक्षों की सुनवाई, प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अंचल चकाई अन्तर्गत मौजा–सिलफरी, टोला–गौरीडीह, थाना नं0–39, खाता सं0–69, जिसमें कई खेसरे सम्मिलित है तथा कुल रकवा–77.12 एकड़, वकास्त मालगुजारी के रूप में कैडेस्टल सर्वे खतियान में दर्ज है तथा खेसरावार वकब्जे जगु महतो, सेवा महतो आदि दर्ज है। आवेदकगण खतियानी वकब्जेदार के वंशज होने के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा करते हुए विपक्षीगण की बहुत पूर्व से चली आ रही जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध कर रहे है। आवेदकगण न तो यह बताने में समर्थ हो पा रहे है कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् उनकी जमाबंदी क्यों नहीं कायम हुई तथा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् यदि जमाबंदी कायम नहीं हुई थी तो बकास्त जमीन के लगान निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकार के समक्ष क्या कार्रवाई की गई और न ही यह बता पा रहे है कि प्रश्नगत वकास्त मालगुजारी की जमीन का दखल–कब्जा विपक्षीगण को किस प्रकार हासिल हुआ।आवेदक के दावा का मुख्य आधार खतियान के कैफियत कॉलम में प्रश्नगत वकास्त भूमि उनके पूर्वजों के नाम पर वकब्जेदार के रूप में दर्ज होना तथा भूतपूर्व मध्यवर्ती सर रामेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा जगु महतो एवं अन्य के विरूद्ध दायर स्वत्व वाद संख्या–507/2013 उचित पैरवी के अभाव में खारिज कर दिया जाना है। वहीं दूसरी ओर विपक्षीगण द्वारा खाता 69 में गिद्धौर स्टेट के द्वारा वर्ष 1948 में दो हुकुमनामा जिसमें एक बंटी राय, चुरामन राय एवं भुनेश्वर सिंह के नाम से 72.12 एकड़ तथा दूसरा हुकुमनामा सुरेन्द्र सिंह के नाम पर 3.27 एकड़ कुल 75.39 एकड़ बंदोवस्त किये जाने का दावा किया जा रहा है। विपक्षीगण का कथन है कि खाता सं0–69 के कुल रकवा– 77.12 एकड़ में से कुल 75.39 एकड़ बंदोवस्ती से उन्हें प्राप्त है तथा विपक्षीगण एवं उनके वंशज जमाबंदी रैयत के रूप में सम्पूर्ण स्वत्व एवं अधिकार के साथ प्रश्नगत भूमि के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में चले आ रहे है। विपक्षीगण के पूर्वज भूतपूर्व मध्यवर्ती को जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से लगान देकर जमींदारी रसीद प्राप्त कर रहे थे एवं जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा समर्पित रिटर्न के आधार पर सरकार के पंजी–2 में नाम दर्ज हुआ तथा वे लोग पूर्वज के समय से ही सरकार को लगान दे कर लगान रसीद प्राप्त करते रहे है तथा प्रश्नगत भूमि पर शांतिपूर्ण रूप से खेती करते चले आ रहे है। आवेदकगण का प्रश्नगत भूमि पर कोई दखल–कब्जा नहीं है। आवेदकगण द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 2011–12 में अंचल अधिकारी, चकाई के समक्ष प्रश्नगत भूमि पर जमाबंदी कायम करने हेतु दाखिल–खारिज वाद सं0–20/2011–12 दायर किया गया, जिसमें अंचल अधिकारी, चकाई द्वारा जाँचोपरांत विपक्षीगण का प्रश्नगत भूमि पर शांतिपूर्ण

दखल–कबजा पाते हुए जमाबंदी कायम करने से इनकार कर वाद को भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत निराकरण हेतु भेज दिया गया, जिसे उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई द्वारा अपने क्षेत्राधिकारी में नहीं पाते हुए कार्यवाही समाप्त कर दी गई। प्रश्नगत मामले में आवेदकगण खतियान में पूर्वज के वकब्जेदार होने के आधार पर प्रश्नगत वकास्त भूमि पर दावा कर रहे है परन्तु प्रश्नगत भूमि पर दखल नहीं होने का कोई तर्कसंगत जबाव नहीं दे पाये है वहीं दूसरी ओर विपक्षीगण का प्रश्नगत भूमि पर भूतपूर्व मध्यवर्ती से हुकुमानामा द्वारा बंदोवस्ती के तहत प्राप्त होने, भूमि पर दखल होने तथा जमाबंदी में नाम दर्ज होने के आधार पर भूमि पर दावा कर रहे है परन्तु प्रश्नगत वकास्त भूमि, जो वकब्जेदार के रूप में आवेदकगण के पूर्वज के नाम पर दर्ज थी, वह भूतपूर्व मध्यवर्ती को किस प्रकार प्राप्त हुआ तथा उसे बंदोवस्त करने का भूतपूर्व मध्यवर्ती को किस प्रकार अधिकार प्राप्त हुआ, इस संबंध में कोई तर्कसंगत जबाव अथवा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में नाकाम रहे। उक्त से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामला प्रश्नगत वकास्त जमीन पर रैयती अधिकार एवं दखल को लेकर है। जहाँ तक पूर्व से चली आ रही विपक्षीगण की जमाबंदी के रद्द करने का बिन्दु है, यह प्रश्नगत वकास्त भूमि के रैयती दावा के निर्धारण के उपरांत ही किया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि सरकार के परिपत्र सं0–613(6)/रा0, दिनांक–17.06.2015 के द्वारा वकास्त भूमि के रैयती दावा के निर्धारण की शक्ति उप समाहर्त्ता भूमि सुधार को दी गई है। अतः उभयपक्षों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नगत वकास्त भूमि पर अपने रैयती दावा के निर्धारण हेतु सरकार के उपरोक्त परिपत्र के आलोक में सक्षम प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय की शरण ले सकते है।

उक्त के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

16/9/19   16/9/19

अपर समाहर्त्ता,   अपर समाहर्त्ता,
जमुई।   जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 1377 /रा0, दिनांक 16.09.19

प्रतिलिपि :–उभयपक्षो/अंचल अधिकारी, चकाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला के बवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/9/19
अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

ज्ञापांक– 1377 /रा0, दिनांक 16.09.19

प्रतिलिपि :–उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के रैयती दावा के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करें।

16/9/19
अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

२२२